आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Department of Sports

Pension to Meritorious Sportspersons (Sports Fund scheme)

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर सक्रिय खेल से संन्यास ले चुके भारतीय खिलाड़ियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन।

क्या मिल सकता है

मासिक पेंशन मिल सकती है: ओलंपिक या पैरालंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपये; विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पर 16,000 रुपये; विश्व कप रजत या कांस्य तथा एशियाई या राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पर 14,000 रुपये; एशियाई या राष्ट्रमंडल खेल रजत या कांस्य पर 12,000 रुपये। सबसे ऊँची उपलब्धि के लिए केवल एक पेंशन दी जाती है।

किसके लिए है

पात्र पदक जीतने वाले और सक्रिय खेल से संन्यास ले चुके भारतीय नागरिक।

मुख्य शर्तें

- पेंशन 30 साल की उम्र या सक्रिय खेल से संन्यास, जो बाद में हो, से शुरू हो सकती है और आजीवन चल सकती है।
- जीवन प्रमाणपत्र ज़रूरी है।

दस्तावेज़

- निर्धारित प्रोफ़ार्मा में आवेदन (अनुलग्नक I)
- अनुलग्नक II में बैंक विवरण
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन

आवेदन कैसे करें

1. योजना दस्तावेज़ में दिया निर्धारित प्रोफ़ार्मा (अनुलग्नक I) भरें।
2. उसकी सिफ़ारिश राष्ट्रीय खेल महासंघ, या राज्य खेल विभाग के उप सचिव या निदेशक से करवाएं और राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं।
3. अनुलग्नक II में बैंक विवरण दें और योजना दस्तावेज़ के अनुसार जमा करें।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://dbtyas-sports.gov.in/assets/annexure/Pension.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://dbtyas-sports.gov.in/assets/annexure/Pension.pdf
आधिकारिक PDF: https://dbtyas-sports.gov.in/assets/annexure/Pension.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/sports-fund-pension-meritorious-sportspersons/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।